गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशी—५ महाराष्ट्र अधिनियम १९९४ (१९९४ चा महा. ३५

(महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशि —४ महाराष्ट्र अधिनियम १९९४ (१९९४ चा महा.३५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ रोजी स्थापित राज्य विद्यापीठ)

महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळ

(महाविद्यालयीन विभाग)

एम.आय.डी.सी. रोड कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली ४४२६०५(महा.) फोन:०७१३२.२१६५५४,२२३१०४,२१६५९४फॅक्स रू ०७१३२.२२३३२२
Email : arcollegesectiongug48@gmail.com web:gondwana.digitaluniversity.ac web:gondwanauniversity.org

(डॉ. जे. व्हि. दडवे) — क्रमांक/महा वि/गो वि./ ०५ /२०१६
संचालक (प्रभारी) — दिनांक : २८/१०/२०१६

प्रति,

मा. प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव,

संलग्नित सर्व महाविद्यालये

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

विषय:— भारत सरकार नियम १९६१ सुधारणा

संदर्भ:— १) मा.उच्च शिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. उशिसं/२०१६/नियम १९६१ सुधारणा/मवि—१ दि. ०७/१०/२०१६

२)शासन पत्र क्र. संकीर्ण—२०१६/प्र.क्र.१३२/२०१६/आस्था—२ दि.२१.०९.२०१६

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाकिंत विषयान्वये आपणांस कळविण्यात येते की, राष्ट्रपती भवन, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १/२१/१६/२०१६—cab, दि. १८.०७.२०१६ तसेच नोटिफिकेशन ची प्रत सोबत देण्यात आलेली आहे त्याअनुषंगाने आपण कार्यवाही करून सदरहु माहिती मा. शिक्षण संचालनालय, (उच्च शिक्षण), पुणे यांना देण्यात यावी. व त्याची एक प्रत विद्यापीठात सादर करावी.

संलग्नित:—संदर्भीय पत्र

(डॉ. जे. व्ही. दडवे)
संचालक (प्रभारी)
महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळ
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

प्रतीलीपी माहितीकरिता अग्रेषित—

१. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुबंई

महाराष्ट्र शासन
उच्च शिक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११ ००१

Web : www.dhepune .gov.in E-Mail : mavi.dhepune@gov..in

फोन नं. ०२० / २६१२२११९, २६०५१५१२, २६१३०६२७, २६१२४६३९. फॅक्स नं.- ०२०/२६१११११५३

क्र.उशिसं/२०१६/नियम १९६१ सुधारणा/मवि-१ / ११५८६ दि. 17 OCT 2016

प्रति,
१) विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, सर्व विभाग.
२) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे.

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
महाविद्यालयीन विभाग
आवक क्र. ८६६ दिनांक १४/१०/१६
जावक क्र............दिनांक............

विषय- भारत सरकार नियम १९६१ सुधारणा.
संदर्भ - शासन पत्र क्र.संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.१३२/२०१६ / आस्था-२ , दि.२१.०९.२०१६

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भिय शासन पत्रासोबत राष्ट्रपती भवन , भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१/२१/१६/२०१६- cab , दि.१८.०७.२०१६ तसेच नोटीफिकेशन ची प्रत देण्यात आलेली आहे. (प्रत संलग्न) सदर पत्र माहिती तथा पुढील कार्यवाहीस्तव आपल्या अधिनस्त महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे . तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत संचालनालयास अवगत करावे.

(डॉ. वि. रा. मोरे)
सहसंचालक
उच्च शिक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य , पुणे- १

प्रत-
मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

AR, BCUD

सहायक कुलसचिव (महा.विभाग)
कार्यवाहीस्तव अग्रेषित
15/10/16

Fr 3 Feb 2015/Letter 2015-16/letter

सोबत " The Government of India (Allocation of Business) Rules, १९६१-Amendment thereto." या विषयाबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३६/१८ (र.व का.), दि. ऑगस्ट,२०१६ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचे संचालक,मंत्रीमंडळ सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दि.१८,लै,२०१६ रोजीचे पत्र.

---

7 SEP 2016
22282

पृष्ठांकन क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३२/२०१६/आस्था-२,
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,
दूरध्वनी क्र.२२८५५७६६,
दिनांक : २१.९.२०१६

प्रति,

मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण), यांचे स्वीय सहायक,
विभागातील सर्व उपसचिव (महाविद्यालयीन शिक्षण/विद्यापीठ शिक्षण/तंत्रशिक्षण/कला/ ग्रंथालये),उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२.
संचालक (उच्चशिक्षण/तंत्रशिक्षण / कला / ग्रंथालय), महाराष्ट्र राज्य.
कुलगुरु, सर्व अकृषिक विद्यापीठे,महाराष्ट्र राज्य.

(सोबतचे पत्र, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीस्तव, आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांच्या /अधिका-यांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात, ही विनंती.)

(नि.मा.मराळे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

C:\Users\shirish.padolya\Documents\क्रCR_१३२_२०१६.docx

सोबत , "The Government of India (Allocation of Business) Rules, १९६१- Amendment thereto." या विषयावरील संचालक, मंत्रीमंडळ सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक १८ जुलै, २०१६ चे पत्र .

क्रमांक:संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३६/१८ (र.व का.)

सामान्य प्रशासन विभाग,
दालन क्र.६३१ (विस्तार),
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दुरध्वनी क्रमांक :-२२७९३६५५
दिनांक:- ऑगस्ट, २०१६

प्रति,

सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना),
सर्व मंत्रालयीन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई § ४०० ०३२

यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

(रा.भा.गायकवाड)
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन

सा.क्र. २९४/१८
३०/६/२०१६

३/५

२६-७-१६

मुख्य सचिवांचे कार्यालय
दिनांक 27 JUL 2016
e-1752827

No.1/21/16/2016-Cab.
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)
RASHTRAPATI BHAVAN

****

New Delhi, the 18th July, 2016

25 JUL 2016

To

(i) The Chief Secretaries to the Government(s) of all the States and the Union Territories, and

(ii) The Administrators of Chandigarh, Lakshadweep at Kavaratti and Dadra and Nagar Haveli at Silvasa.

Subject:- **The Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 – Amendment thereto.**

*****

Sir,

In continuation of the Amendment (Series No. 326) of the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 forwarded by this Secretariat letter No.1/21/32/2015-Cab. dated 23.05.2016, I am directed to forward two copies of the Amendment (Series No. 327) dated the 16th July, 2016.

Yours faithfully,

(Sanjukta Ray)
Director
Tele: 2379 2204

ACS/O&M (GAD)

D S Shortkale
29/7/16

80- Copies.

29.7 चर्चा झाली.

टीम परब
कृपया सर्व विभागांना पृष्ठांकित करावे.
30/7/16

सं0 1/21/16/2016-मंत्रि0

भारत सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रपति भवन

....

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सेवा में,

(i) सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकार (सरकारों) के मुख्य सचिव और

(ii) चण्डीगढ़, कावारत्ती में लक्षद्वीप तथा सिलवासा में दादरा और नगर हवेली के प्रशासक ।

विषय: भारत सरकार **(कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन ।**

......

महोदय,

इस सचिवालय के दिनांक 23.05.2016 पत्र संख्या 1/21/32/2015-मंत्रि0 के द्वारा प्रेषित भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन (अवलि सं0 326) के अनुक्रम में मुझे, दिनांक 16 जुलाई, 2016 के संशोधन (अवलि सं0 327) की दो प्रतियां प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

भवदीय,

संयुक्ता राय

(संयुक्ता राय)

निदेशक

दूरभाष: 23792204

80 प्रतियां

(To be published in
Part II, Section 3,
Sub - section (ii)
of the Gazette of
India, Extraordinary,
Dated the 18th July, 2016)

Doc. CD-454/2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2016

S.O.________(E).- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Seventh Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in THE FIRST SCHEDULE,-
(a) for the heading "7. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)" and sub-headings thereto, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"7. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)
(i) Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)
(ii) Department of Posts (Dak Vibhag)";

(b) after the heading "10. Ministry of Earth Sciences (Prithvi Vigyan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-
"10A. Ministry of Electronics and Information Technology (Electroniki aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)";

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) for the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" the following heading shall be substituted, namely,-

"MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)";

(ii) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" the sub-heading "DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)" and entries thereunder shall be omitted;

(iii) after the heading "MINISTRY OF EARTH SCIENCES (PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA)" and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely,-

"MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

1. Policy matters relating to information technology; Electronics; and Internet (all matters other than licensing of Internet Service Provider).

2. Promotion of internet, IT and IT enabled services.

3. Assistance to other departments in the promotion of E-Governance, E- Commerce, E- Medicine, E- Infrastructure, etc.

4. Promotion of Information Technology education and Information Technology-based education.

5. Matters relating to Cyber Laws, administration of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and other IT related laws.

6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country excluding all matters relating to Semiconductor Complex Limited (SCL), Mohali.

7. Interaction in IT related matters with international agencies and bodies e. g. Internet for Business Limited (IFB), Institute for Education in Information Society (IBI) and International Code Council – on line (ICC).

8. Initiative on bridging the Digital Divide: Matters relating to Media Lab Asia.

9. Promotion of Standardization, Testing and Quality in IT and standardization of procedure for IT application and Tasks.

10. Electronics Export and Computer Software Promotion Council (ESC).

11. National Informatics Centre (NIC).

12. Initiatives for development of Hardware/Software industry including knowledge–based enterprises, measures for promoting IT exports and competitiveness of the industry.

13. All matters relating to personnel under the control of the Ministry.

14. Unique Identification Authority of India (UIDAI).".

Pranab Mukherjee
President
[File No. 1/21/16/2016-Cab.]

(Deepti Umashankar)
Joint Secretary

e19
614

(भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii)
तारीख 18 जुलाई , 2016 में प्रकाशनार्थ)

प्रलेख सीडी- 454 /2016

मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 16 जुलाई, 2016

का0आ0_____________ (अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ सत्ताईसवां संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(3) प्रथम अनुसूची में,-

(ग) "7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उप-शीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"7. संचार मंत्रालय
(iii) दूरसंचार विभाग
(iv) डाक विभाग";

(घ) "10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"10क. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय";

(4) द्वितीय अनुसूची में,-

(ii) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्,:-

"संचार मंत्रालय";

(ii) "संचार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" उप-शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(iii) "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलेक्ट्रानिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले)।
2. इन्टरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन।
3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता।
4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन।
5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन।
6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर।
7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर बिजनेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एज्यूकेशन इन इनफॉर्मेशन सोसाइटी (आईबीआई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑन लाइन (आईसीसी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक क्रिया।
8. डिजीटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल: मीडिया लैब एशिया संबंधी मामले।
9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य।
10. इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ईएससी)।
11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)।
12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय।
13. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले।
14. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)।"।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

(फा.सं.1/21/16/2016-मंत्रि.)

दीप्ति

(दीप्ति उमाशंकर)
संयुक्त सचिव

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,मायापुरी, नई दिल्ली-110064

991/5
a/4

No.1/21/16/2016-Cab.
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)
RASHTRAPATI BHAVAN

****

New Delhi, the 18th July, 2016

To

(i) **The Chief Secretaries to the Government(s) of all the States and the Union Territories, and**

(ii) **The Administrators of Chandigarh, Lakshadweep at Kavaratti and Dadra and Nagar Haveli at Silvasa.**

Subject:- The Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 – Amendment thereto.

*****

Sir,

In continuation of the Amendment (Series No. 326) of the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 forwarded by this Secretariat letter No.1/21/32/2015-Cab. dated 23.05.2016, I am directed to forward two copies of the Amendment (Series No. 327) dated the 16th July, 2016.

Yours faithfully,

(Sanjukta Ray)
Director
Tele: 2379 2204

80- Copies.

सं0 1/21/16/2016-मंत्रि0
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

....

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

सेवा में,

(i) सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकार (सरकारों) के मुख्य सचिव और

(ii) चण्डीगढ़, कावारत्ती में लक्षद्वीप तथा सिलवासा में दादरा और नगर हवेली के प्रशासक ।

विषय: भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन ।

.....

महोदय,

इस सचिवालय के दिनांक 23.05.2016 पत्र संख्या 1/21/32/2015-मंत्रि0 के द्वारा प्रेषित भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन (अवलि सं0 326) के अनुक्रम में मुझे, दिनांक 16 जुलाई, 2016 के संशोधन (अवलि सं0 327) की दो प्रतियां प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

भवदीय,

संयुक्ता राय

(संयुक्ता राय)
निदेशक
दूरभाष: 23792204

80 प्रतियां

9319
9914

(To be published in
Part II, Section 3,
Sub - section (ii)
of the Gazette of
India, Extraordinary,
Dated the 18th July, 2016)

Doc. CD-454/2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2016

S.O.________(E).- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty Seventh Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in THE FIRST SCHEDULE,-

(a). for the heading "7. Ministry of Communications and Information Technology (Sanchar aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)" and sub-headings thereto, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"7. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)
(i) Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)
(ii) Department of Posts (Dak Vibhag)";

(b) after the heading "10. Ministry of Earth Sciences (Prithvi Vigyan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"10A. Ministry of Electronics and Information Technology (Electroniki aur Soochana Praudyogiki Mantralaya)";

(2) in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) for the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" the following heading shall be substituted, namely,-

"MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)";

(ii) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" the sub-heading "DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)" and entries thereunder shall be omitted;

(iii) after the heading "MINISTRY OF EARTH SCIENCES (PRITHVI VIGYAN MANTRALAYA)" and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely,-

"MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

1. Policy matters relating to information technology; Electronics; and Internet (all matters other than licensing of Internet Service Provider).

2. Promotion of internet, IT and IT enabled services.

3. Assistance to other departments in the promotion of E-Governance, E- Commerce, E- Medicine, E- Infrastructure, etc.

4. Promotion of Information Technology education and Information Technology-based education.

5. Matters relating to Cyber Laws, administration of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and other IT related laws.

6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country excluding all matters relating to Semiconductor Complex Limited (SCL), Mohali.

7. Interaction in IT related matters with international agencies and bodies e. g. Internet for Business Limited (IFB), Institute for Education in Information Society (IBI) and International Code Council – on line (ICC).

..3/-

8. Initiative on bridging the Digital Divide: Matters relating to Media Lab Asia.

9. Promotion of Standardization, Testing and Quality in IT and standardization of procedure for IT application and Tasks.

10. Electronics Export and Computer Software Promotion Council (ESC).

11. National Informatics Centre (NIC).

12. Initiatives for development of Hardware/Software industry including knowledge–based enterprises, measures for promoting IT exports and competitiveness of the industry.

13. All matters relating to personnel under the control of the Ministry.

14. Unique Identification Authority of India (UIDAI).".

Pranab Mukherjee
President
[File No. 1/21/16/2016-Cab.]

(Deepti Umashankar)
Joint Secretary

९०/५
९५/१

(भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii)
तारीख 18 जुलाई , 2016 में प्रकाशनार्थ)

प्रलेख सीडी- 454 /2016

मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 16 जुलाई, 2016

का0आ0____________ (अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ सत्ताईसवां संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(3) प्रथम अनुसूची में,-

(ग) "7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उप-शीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"7. संचार मंत्रालय
(iii) दूरसंचार विभाग
(iv) डाक विभाग ";

(घ) "10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"10क. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय";

(4) द्वितीय अनुसूची में,-

(ii) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्,: -

" संचार मंत्रालय";

..2/-

(ii) "संचार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" का शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(iii) "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलैक्ट्रानिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले)।
2. इन्टरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन।
3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता।
4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन।
5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन।
6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल), मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर।
7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर बिज़नेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एज्यूकेशन इन इनफॉर्मेशन सोसाइटी (आईबीआई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑन लाइन (आईसीसी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक क्रिया।
8. डिजीटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल: मीडिया लैब एशिया संबंधी मामले।
9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपायोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य।
10. इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ईएससी)।
11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)।
12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय।
13. इस विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिक संबंधी सभी मामले।
14. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)।"।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

(फा.सं. 1/21/16/2016-मंत्रि.)

दीप्ति

(दीप्ति उमाशंकर)
संयुक्त सचिव

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली-110064